राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– एफ 1 (17) परि/स्था/90 / 36596 जयपुर, दिनांकः 11-7-09

<u>परिपत्र</u>
<u>(वाहन सुरक्षा–पत्र)</u>

1. वाहन चालक, उसके पास अधिकृत ड्राइविंग लाईसेंस होने पर ही सरकारी वाहन चलाऐ/यथा समय चालक लाईसेंस का नवीनीकरण करवाया जावे।
2. वाहन को मार्ग की निर्धारित अधिकतम् सीमा से अधिक गति पर नहीं चलाए। वाहन की दशा व स्थिति के आधार पर नियन्त्रित एवं यथा शक्य नियन्त्रण योग्य सीमा में ही चलाऐ तथा सीट बैल्ट का उपयोग किया जावे।
3. वाहन चालक वाहन एवं वाहन के पार्ट्स के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी रखेंगे तथा अपने ज्ञान एवं अनुभव को अपडेट करते रहेंगे।
4. वाहन चालक अपनी आंखों की नेत्र चिकित्सक से नियमित जांच कराएंगे तथा उसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र सेवाभिलेख में शामिल रखा जावे। सम्बन्धित अधिकारी स्वास्थ्य एवं आंखों के डॉक्टरी परीक्षण को सुनिश्चित करेंगे।
5. वाहन चालक, वाहन के बाहरी अवयवों का नियमित परीक्षण करेंगे। (यथा टायरों में हवा प्रेशर, पानी, ऑयल) अनुकूलतम् स्पीड पर वाहन चलाया जावे। केवल सरकारी कार्य के लिए ही वाहन का उपयोग किया जावे।
6. वाहन की सेवापुस्तिका/लोगबुक में प्रत्येक प्रविष्ठि ठीक ढंग से प्रतिदिन पूर्ण की जावे। वाहन पर किये जाने जाने वाले हर तरह के व्ययों (यथा पी.ओ.एल., मरम्मत, रख रखाव, टायर ट्यूब) का इन्द्राज लोगबुक में किया जावे। लोगबुक के उक्त इन्द्राजों की साप्ताहिक जांच कार्यालय में कार्यरत भुगतान शाखा के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार से करवाई जावे। जिससे कि व्यय बिलों का भुगतान व ऑडिट रिपोर्ट की समय पर पालना हो सके तथा अनियमितता से बचा जा सके।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

36597
11-7-09

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा0 यातायात मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव।
4. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)

D:\WORKING AREA\Vyas G\Bavas.doc